

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग


क्रमांक/प्रस्था/सू.अ./14/20/9704-9800

जयपुर, दिनांक: 24-07-2020

कार्यालय आदेश


सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का त्वरित एवं नियत अवधि में निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय नियोजित किये जाते हैं।

क्र. स.	लोक प्राधिकरण का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	प्रशासनिक विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान	अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान	उप निदेशक, प्रशासन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान	आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान
2.	विज्ञापन अनुभाग निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क राजस्थान	सहायक निदेशक विज्ञापन	सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, विज्ञापन	आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान
3.	विज्ञापन शाखा के अतिरिक्त निदेशालय स्थित अन्य समस्त अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन	उपनिदेशक प्रशासन	आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान
4.	समस्त जिला कार्यालय एवं सूचना केन्द्र	उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी /सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान


आयुक्त एवं शासन सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, सूचना आयुक्त, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, सूजस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव गृह-5 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर
5. सचिव, राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन), सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सहा. निदेशक (विज्ञापन) एवं सूचना जनसम्पर्क अधिकारी विज्ञापन को पालनार्थ।
12. प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र नई दिल्ली/कलकत्ता/मुम्बई/जयपुर।
13. एसीपी, कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
14. उपनिदेशक (भण्डार) उक्तानुसार सूचना पट्ट तैयार करवाकर लगवाये जाने हेतु।
15. सूचना पट्ट
16. गार्ड फाईल।


आयुक्त एवं शासन सचिव